



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 6091

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 36811 सन् 2025

मुसलम खान

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	देवेश कुमार शर्मा, गौरव सिंह तोमर, राहुल गौर
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 354 सन् 2025, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18/29 के अंतर्गत, थाना रसूलपुर, जनपद फिरोजाबाद में, जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि आवेदक के कब्जे से लगभग 120 किग्रा. डोडा-पोस्त बरामद होना आरोपित है। वास्तव में आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए उसके मिथ्या रूप से फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह अभिकथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन N.D.P.S. अधिनियम की धारा 50 एवं 52A के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है, अतः आवेदक को और किसी अभिरक्षा-पूछताछ की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने तथा उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 01.08.2025 से जेल में है। उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। रिहाई की दशा में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन करते हुए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया कि नशीला पदार्थ आपूर्ति करने में संलिप्त आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण विचारण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक कोई उदारता पाने का अधिकारी नहीं है। रिहाई की दशा में आवेदक पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त होगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, आवेदक **मुसलम खान** को, जो उक्त प्रकरण अपराध में सम्मिलित है, व्यक्तिगत मुचलके तथा दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी स्थगन की माँग किए बिना विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहाई के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास का प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।